**आदेश 39, नियम. 1 एवम् 2 धारा 151 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र का उत्तर**

............... उच्च न्यायालय

आई. ए.सं................................

इन

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

सादर प्रदर्शित करता हूं

1. यह कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी महत्वपूर्ण प्रत्याख्यानों, अभिकथनों एवम् प्रतिवादों के साथ दिये जा रहे कथन को दाखिल किया है जिसको संक्षिप्त रूप से यह प्रार्थना करने के लिए इसें दुहराई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उसको ही इस उत्तर के एक भाग के रूप में कृपया पढ़ा जाय।
2. पैरा सं 2 की अन्तर्वस्तुओं का जोरदार ढंग से प्रत्याख्यान किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी ने वस्तुतः या प्रतीकारात्मक रूप से उसकी भूमि के कब्जे में कभी भागीदार नहीं हुआ / अभिकथित करार में इस प्रभाव का अनुबन्ध जिसको हिन्दी में प्रतिवादीगण द्वारा मात्र हस्ताक्षरित किया गया, कभी भी ज्ञात नही करवाया गया या प्रतिवादी को स्पष्टीकरण नही दिया गया और न ही यह समय की किसी भी दशा में प्रतिवादी की नोटिस में आया कि वादी के उसको उसकी नोटिस का उत्तर प्राप्त करने तक प्रतिवादी की / प्रत्यर्थी की पर कब्जे का दावा करने की संभावना होती है तथ्यके अनुसार कब्जा का परिदान तथा प्रतिवादी / प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित तौर पर किये गये करार के पृष्ठ 2 के माध्यम से भूमि की माँग करने के लिए उसको प्राधिकृत करने का यह प्रावधान प्रतिवादी / प्रत्यर्थी को कभी भी नहीं जानकार बनाया गया एक प्रत्यक्ष (overt) कथन/अनुबंध है। यह आगे निवेदन किया जाता है कि यह किसी भी विधि द्वारा ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार कहा जाने वाला विक्रेता प्रतिफल का संदाय करने तथा इसमें हक को अर्जित करने के पूर्व भी विक्रय करने के लिए करार पायी गयी भूमि का अधिकृत/हकदार हो जाता है। यह स्थापित विधि है कि विक्रय करने का एक करार इस प्रकार कहे गये विक्रेता में किसी भी हक को नहीं ले जाता है।

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का अभिकथित के करार के होते हुए भी भूमि पर वस्ततः कब्जा है तो वह तारीख तक लगातार इसकी फसलें पैदा कर रहा है और................... में इसमें एक भलीभांति स्थपित की गयी एक नलकूप या ट्यूबवेल रखता है जिसके लिए वह..................से एक विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया और सिंचाई के लिए बिल का भुगतान कर रहा है। जवार की प्रस्तुत रवी फसल संपूर्ण वाद भूमि पर प्रतिवादी /प्रत्यर्थी द्वारा उगायी गयी है। यह निवेदन किया जाता है कि राजस्व अभिलेख की दोहरी प्रविष्टियाँ/प्रत्यर्थी की इस प्रतिपादना को स्थापित कर देता है। वादपत्र में इस महत्वपूर्ण विशिष्टि को छिपाने में वादी ने आदरणीय न्यायालय के साथ कपट किया है और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

1. अन्तर्वस्तुओं का प्रत्याख्यान किया जाता है। यह निवेदन किया जाता कि कोई एन0 ओ0 सी0 या आयकर समाशोधन अनुबन्धित तारीख द्वारा भूमि के विक्रय के लिए आवश्यक था। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने कभी-भी विक्रय का निष्पादन करने के लिए अभिकथित करार के अधीन उसके दायित्व को नहीं उठाया।
2. इसका प्रत्याख्यान किया गया। प्रतिवादी /प्रत्यर्थी का ऊपर पैरा सं0 2 में किये गये निवेदन की भाँति वस्तुतः कब्जा था।
3. उस समय अपनी भूमि का विक्रय करने के लिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के अधिकार पर कोई मनाही नही है। जब अभिकथित करार व्यपगत होगा।
4. जो कथन किया गया, उसका प्रत्याख्यान किया गया। यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने भूमि के भौतिक कब्जे में कभी भी हिस्सेदार नही बना। वादी / आवेदक ने आदरणीय न्यायालय को गुमराह किया है और प्रत्यर्थी /प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त करने में विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जिसका इस पर वास्तविक कब्जा है और जिसकी जवार फसल भूमि पर खड़ी है। 8 & 9 का जैसे कथन किया गया, उसका प्रत्याख्यान किया गया /प्रतिवादी / प्रत्यर्थी का कब्जा है और सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है; वादी/आवेदक का कोई भी मामला नहीं है जहाँ तक कब्जे का सम्बन्ध है और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर उसने अंतरिम स्थगन के वैवेकिक अनुतोष के अपने उपचार को खो चुका है.

**प्रार्थना**

यह प्रार्थना की जाती है कि वादी के दुर्व्यपदेशन पर वाद भूमि की बावत प्रत्यर्थी के विरुद्ध जारी किया गया अंतरिम स्थगन आदेश कृपया रिक्त कर दिया जाय या पर्याप्त श्रम एवम् खर्च के साथ बोई गयी प्रतिवादी / प्रत्यर्थी की जवार की फसल विनष्ट हो जायेगी। हकदार हो जाता है। यह स्थापित विधि है कि विक्रय करने का एक करार इस प्रकार कहे गये विक्रेता को कोई हक नहीं जाता है।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान............**

**तारीख............**